संख्याः 1494/VII-2/24–उद्योग/08

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 25 मार्च, 2008

विषयः एकीकृत हथकरघा विकास योजना (Integrated Handloom Development Scheme(IHDS) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत तीन हथकरघा कलस्टर हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्याः 5132/उ0नि0/डीडीएचपीवाई/बजट/08 दिनांकः 18 मार्च, 2008 एवं अपर विकास आयुक्त हथकरघा, भारत सरकार, कार्यालय विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली के पत्र सं01/29/2007–DCH/IHDS/Uttarakhand/Sanction/Phase-III दिनांक 21 फरवरी, 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग के आयोजनागत पक्ष के हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनायें के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में स्वीकृत तीन हथकरघा कल्सटर कमशः डुण्डा उत्तरकाशी, मुनस्यारी पिथौरागढ़ एवं धारचुला पिथौरागढ़ हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 60.00 लाख प्रति कलस्टर के अनुसार कुल रू0 180.00 लाख की परियोजना पर स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त रू0 54.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु योजनान्तर्गत प्राविधानित उपलब्ध अवशेष धनराशि केन्द्रांश के रूप में रू0 18,89,000/–(रू0 अट्ठारह लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त योजना पर धनराशि का व्यय करते समय उपरिउल्लिखित भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 21 फरवरी, 2008 द्वारा निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे करने से बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो, व्यय में मितव्ययता का ध्यान विशेष रूप से रखा जाय तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी

निर्देशों अथवा आदेशों में निहित निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3— व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4— स्वीकृत धनराशि का दिनांक: 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा और इसके उपरांत कार्य का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा व व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।

5— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 103–हथकरघा उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 08–हथकरघा बुनकरों एवं छीपियों की कल्याणकारी योजनायें, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 356/XXVII(2)/2008, दिनांक: 20 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1494(1)/VII-2/24–उद्योग/08, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन नई दिल्ली।
7. प्रभारी अपर निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2
10. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।